

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 78/2019

दायर दिनांक 22.02.2019

वादी

1. नन्दाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी प्यांवा, तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. हेमाराम पुत्र हड़मानराम
2. हुक्माराम पुत्र हड़मानराम
3. रामकरण पुत्र हड़मानराम समस्त जाति जाट निवासी प्यांवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
4. झमकू पत्नि सीयाराम जाति जाट निवासी मामड़ोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
5. भंवरी पत्नि रूपाराम जाति जाट निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
6. नराणी पत्नि जीवणराम
7. रतनाराम पुत्र जीवणराम
8. चेतनराम पुत्र जीवणराम समस्त जाति जाट निवासी प्यांवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
9. रूकमा पत्नि ईश्वर जाति जाट निवासी सांनिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
10. गोदावरी पत्नि रामूराम जाति जाट निवासी खेरश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
11. राधा पत्नि खूमराम जाति जाट निवासी भगतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
12. किरपाल सिंह पुत्र प्रतापसिंह
13. हंसराज पुत्र प्रताप सिंह जातिगण राजपुत निवासीगण प्यांवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
14. चौथाराम पुत्र दानाराम
15. हीराराम पुत्र जवानाराम
16. श्रवणराम पुत्र रूगाराम
17. लोडूराम पुत्र रूगाराम
18. रेखाराम पुत्र रूगाराम
19. गलकू पत्नि रूगाराम
20. कमला पुत्री प्रेमराम पत्नि हरीराम जाति जाट निवासी खेरश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
21. जसकरण पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी प्यांवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
22. प्रबन्धक, ज.ना.आ. ग्रामीण बैंक शाखा खुनखुना
23. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



दावा बाबत
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री हाकम अली खां वकील वादी।
2. श्री विकास ठोलिया वकील प्रतिवादी सं० 01 ता 11।
3. श्री भैरूसिंह शैखावत वकील प्रति० सं० 12, 13।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 30.01.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वाकै सरहद प्यांवा में स्थित खेत खसरा सं० 321 रकबा 56 बीघा, खसरा सं० 321/449 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा जिसके खसरा सं० 631/323 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा बने हुए है। खसरा सं० 528/326 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं० 529/321 रकबा 09 बिस्वा कुल रकबा 80 बीघा 05 बिस्वा की भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 21 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 25.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक/प.1(7)रीडर/2024/653 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बन्टवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बन्टवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये क्रमांक/प.1(7)रीडर/2024/653 दिनांक 19.12.2024 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

--: आदेश :-

अतः दावा डिक्री सादिर कर, सरहद प्यांवा में स्थित खेत खसरा सं० 321 रकबा 56 बीघा, खसरा सं० 321/449 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा जिसके खसरा सं० 631/323 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा बने हुए है। खसरा सं० 528/326 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं० 529/321 रकबा 09 बिस्वा कुल रकबा 80 बीघा 05 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 21 के मध्य घोषणा खातेदारी व बन्टवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये क्रमांक/प.1(7)रीडर/2024/653 दिनांक 19.12.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: क्रमांक/प.1(7)रीडर/2024/653 दिनांक 19.12.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 78/2019

दायर दिनांक 22.02.2019

वादी

1. नन्दाराम पुत्र रुघाराम
जाति जाट निवासी
प्यांवा, तहसील डीडवाना
जिला-नागौर,
राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. हेमाराम पुत्र हड़मानराम
2. हुक्माराम पुत्र हड़मानराम
3. रामकरण पुत्र हड़मानराम समस्त जाति जाट निवासी
प्यांवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
4. झमकू पत्नि सीयाराम जाति जाट निवासी मामड़ोदा
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
5. भंवरी पत्नि रूपाराम जाति जाट निवासी खुनखुना
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
6. नराणी पत्नि जीवणराम
7. रतनाराम पुत्र जीवणराम
8. चेतनराम पुत्र जीवणराम समस्त जाति जाट निवासी
प्यांवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
9. रूकमा पत्नि ईश्वर जाति जाट निवासी सानिया
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
10. गोदावरी पत्नि रामूराम जाति जाट निवासी खेरश
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
11. राधा पत्नि खूमाराम जाति जाट निवासी भगतपुरा
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
12. किरपाल सिंह पुत्र प्रतापसिंह
13. हंसराज पुत्र प्रताप सिंह जातिगण राजपुत निवासीगण
प्यांवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
14. चौथाराम पुत्र दानाराम
15. हीराराम पुत्र जवानाराम
16. श्रवणराम पुत्र रूगाराम
17. लोडूराम पुत्र रूगाराम
18. रेखाराम पुत्र रूगाराम
19. गलकू पत्नि रूगाराम
20. कमला पुत्री प्रेमराम पत्नि हरीराम जाति जाट निवासी
खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
21. जसकरण पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी प्यांवा
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
22. प्रबन्धक, ज.ना.आ. ग्रामीण बैंक शाखा खुनखुना
23. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 30.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री हाकम अली खां वकील वादी व श्री विकास ठोलिया, श्री भैरूसिंह शैखावत प्रतिवादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर, सरहद प्यांवा में स्थित खेत खसरा सं0 321 रकबा 56 बीघा, खसरा सं0 321/449 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा जिसके खसरा सं0 631/323 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा बने हुए है। खसरा सं0 528/326 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं0 529/321 रकबा 09 बिस्वा कुल रकबा 80 बीघा 05 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 21 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये क्रमांक/प. 1(7)रीडर/2024/653 दिनांक 19.12.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

Wks
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: क्रमांक/प.1(7)रीडर/2024/653 दिनांक 19.12.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.01.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Wras
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुवमनामा		
बाबत इजराय			मुतफरिंक		
हुवमनामा					
मुतफरिंक					
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Wras
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना